न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाडा (राज0)
कैम्प ज्ञानगढ
पीठासीन अधिकारी-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः-61/17 रा0वाद

अनवान

1- मु. मंजु पुत्री स्व. श्री डालु, जाति बलाई उम्र 17 वर्ष नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोहनी बेवा श्री डालु, जाति बलाई , निवासी ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
2- श्री पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्री डालु जाति बलाई उमग्र 15 वर्ष नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोहनी बेवा श्री डालु, जाति बलाई , निवासी ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
3- मु. गीता पुत्री स्व. श्री डालु , जाति बलाई उम्र 13 वर्ष नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोहनी बेवा श्री डालु, जाति बलाई , निवासी ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

---वादीगण।

बनाम

1- श्री जोरा पिता श्री जाला जाति बलाई , उम्र व्यस्क निवासी ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
2- श्री नगजी पिता श्री जोरा जाति बलाई , उम्र व्यस्क निवासी ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
3- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
4- श्रीमति तुलछी पुत्री जोरा बलाई पत्नि भीठूराम बलाई नि0 ज्ञानगढ तह0 करेडा
5-श्रीमति भागूती पुत्री जोरा बलाई पत्नि प्रताप बलाई नि0 ज्ञानगढ तह0 करेडा
6-श्रीमति जमना पुत्री जोरा बलाई पत्नि करमा बलाई नि0 ज्ञानगढ तह0 करेडा

--प्रतिवादीगण।

उपस्थित :-

1-श्री रोशलाल जीनगर — अधिवक्ता वादी
2-श्री विनोद कुमार तिवारी — अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा बाबत

निर्णय — दिनांक 15.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। उक्त प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में पेश हुआ परन्तु यह न्यायालय अस्तित्व में आने के कारण तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंने से प्रकरण हस्तान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उजरदारी पेश करने हेतु पूर्व न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाकर सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है। दिनांक 22.09.2015 को वकील प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 के तहत श्रीमति तुलछी, श्रीमति भागूती एवं श्रीमति जमना पुत्री जोरा बलाई समस्त निवासीयान ज्ञानगढ द्वारा पक्षकार नियोजित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर जवाब एवं बहस हेतु न्यायालय द्वारा अनेक अवसर प्रदान किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र पर राजस्व लोक अदालत शिविर में सर्व प्रथम सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादीगण सं. 04 लगायत 06 के रूप में पक्षकार नियोजित किया गया। राजस्व लोक अदालत के दौरान उभयपक्ष उपस्थित हुये एवं न्यायालय के समक्ष संयुक्त राजीनामा पेश किया गया। जिसे बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर रेकार्ड पर लिया गया।

इस प्रकार प्रकरण में राजीनामा अनुसार ग्राम ज्ञानगढ की वर्तमान जमाबंदी सं. 2069 से 2072 खाता सं0 96 कुल किता 19 कुल रकबा 9.07 बीघा भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित है का राजीनामें के आधार पर 1/6-1/6 हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।
निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को सरे ईजलाश सुनाया गया ।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–61/2017

अनवान

1– मु. मंजु पुत्री स्व. श्री डालु, जाति बलाई उम्र 17 वर्ष नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोहनी बेवा श्री डालु, जाति बलाई , निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2– श्री पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्री डालू जाति बलाई उमग्र 15 वर्ष नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोहनी बेवा श्री डालु, जाति बलाई , निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3– मु. गीता पुत्री स्व. श्री डालु , जाति बलाई उम्र 13 वर्ष नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोहनी बेवा श्री डालु, जाति बलाई , निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

–––वादीगण।

बनाम

1– श्री जोरा पिता श्री जाला जाति बलाई , उम्र व्यस्क निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2– श्री नंगजी पिता श्री जोरा जाति बलाई , उम्र व्यस्क निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

4– श्रीमति तुलछी पुत्री जोरा बलाई पत्नि मीठूराम बलाई नि0 ज्ञानगढ तह0 करेडा

5–श्रीमति भागूती पुत्री जोरा बलाई पत्नि प्रताप बलाई नि0 ज्ञानगढ तह0 करेड़ा

6–श्रीमति जमना पुत्री जोरा बलाई पत्नि करमा बलाई नि0 ज्ञानगढ तह0 करेड़ा

वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा अज अदालत बाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री रोशनलाल रेगर मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार ग्राम ज्ञानगढ की वर्तमान जमाबंदी सं. 2069 से 2072 खाता सं0 96 कुल किता 19 कुल रकबा 9.07 बीघा भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित है का राजीनामें के आधार पर 1/6–1/6 हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 08.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner